



कार्यालय उप संचालक उद्यान जिला-सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

रामानुजगंज नाका के पास अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

☎ 07774-240835, Fax 07774-241215, E-mail- horticulture.surguja.cg@gov.in



क्रमांक / उद्यान / तक.-1 / DMF / 2017-18 /


अम्बिकापुर, दिनांक-

—: अभिरूचि की अभिव्यक्ति :-

—00—


TCPC, अम्बिकापुर में कृषि उद्यानिकी आधारित फुड प्रोसेसिंग पार्क, अर्पण (Agriculture Related Processing Park) में कटहल प्रोसेसिंग इकाई के स्थापना हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति में राशि रु. एक लाख की अमानत राशि (EMD-FDR), तकनिकी एवं वित्तीय अभिरूचि की अभिव्यक्ति को बंद लिफाफा में दिनांक 20.04.2018 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक संस्था/व्यक्ति विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी, निर्धारित अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रारूप के संबंध में नियम व शर्तें कार्यालय अथवा <http://surguja.nic.in> से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि-	20.04.2018 समय प्रातः 05.30 बजे तक
कार्यालय में EMD-FDR जमा करने की तिथि	- 20.04.2018 समय प्रातः 05.30 बजे तक
अभिरूचि की अभिव्यक्ति खोलने की तिथि (तकनिकी)-	21.04.2018 समय प्रातः 12.00 बजे


उप संचालक उद्यान
सरगुजा (अम्बिकापुर) छ.ग.

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु नियम व शर्तें (कटहल प्रोसेसिंग इकाई) :-

1. कटहल प्रोसेसिंग क्षमता (कटहल जैम, कैंण्डी, चिप्स) वाले सहायक यंत्रों के साथ इकाई स्थापित किया जाना आवश्यक है। (सहायक यंत्रों सहित)
2. पैकिंग मशीन 250 ग्राम से 1 किग्रा तक एवं कैंण्डी पैकिंग क्षमता वाला हों।
3. प्रोसेसिंग इकाई पूर्णतः स्वचलित हों।
4. स्थापना व्यय एवं जी.एस.टी. सहित समस्त करों को शामिल करते हुए अभिरूचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
5. इच्छुक संस्था/व्यक्ति का प्रस्ताव, अभिरूचि की अभिव्यक्ति 20.04.2018 तक बंद लिफाफा में "कार्यालय उप संचालक उद्यान, रामानुजगंज रोड, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) 497001" को प्राप्त हो जाना चाहिए।
6. यह प्रोसेसिंग इकाई टी.सी.पी.सी., बनारस रोड, अम्बिकापुर के पूर्व निर्मित कक्ष में स्थापित किया जाना है। स्थापना से पूर्व स्थान का अवलोकन कर लें।
7. अभिरूचि की अभिव्यक्ति में चयन उपरांत 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जावेगा। एवं कार्यपूर्णता पश्चात् शेष 40 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जावेगा।
8. इकाई का एक माह तक संचालन आपके प्रशिक्षित कर्मचारी द्वारा किया जावेगा। जिसमें स्थानीय हितग्राही/समूह के सदस्य को प्रशिक्षित करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जावेगा।
9. निविदा दिनांक 21.04.2018 को दोपहर 12.00 बजे कलेक्टर महोदया की उपस्थिति में खोला जावेगा।
10. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कलेक्टर, सरगुजा द्वारा लिया जावेगा। जो सर्वमान्य होगा।


उप संचालक उद्यान
सरगुजा (अम्बिकापुर) छ.ग.